



उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-228001

संख्या-1725-औस-17/2023-11(30)ए0एस0/2004

दिनांक : 25 अप्रैल, 2023

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों व उनके आश्रित परिजनों एवं पारिवारिक पेंशनरों का फेलिक्स हेल्थ केयर प्रा0लि0, एन0एच0-01, सेक्टर-137, नोयडा में कार्डियोलॉजी (हृदय रोग की शल्य क्रिया/स्टैन्ट/ओपन हार्ट सर्जरी, CABG, MVR, PACE MAKER IMPLANT से सम्बन्धित उपचार) कैशलेस व्यवस्था के अन्तर्गत चिकित्सा/उपचार कराने हेतु चिकित्सालय प्रबन्धन के पत्र दिनांक 27.01.2023 द्वारा किये गये अनुरोध एवं जिला पंजीकरण प्राधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा निर्गत प्रोविजनल प्रमाण-पत्र, जो दिनांक 01.05.2022 से एक वर्ष तक के लिए वैध है, के दृष्टिगत कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-5830-औ0सं0/2008 दिनांक 31.12.2008 एवं कार्यालय ज्ञाप सं0-3330-औसं/2018-11(28)ए0एस0/2004 (VOL-2015/CGHS) दिनांक 08 अगस्त, 2018 में निहित शर्तों/प्रतिबन्धों एवं सी0जी0एच0एस0 की मानक दरों में अस्पताल द्वारा 4 प्रतिशत की छूट देने की सहमति सहित दिनांक 30.04.2023 तक मान्यता प्रदान की जाती है।

उक्त कैशलेस उपचार हेतु कारपोरेशन के आदेश संख्या-2800-औसं/2012-11(30)ए0एस0/2004 दिनांक 21.09.2012 एवं सपठित आदेश सं0-3277-औ0सं0/पाकालि/2019 दिनांक 21.09.2019 में उल्लिखित निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी :-

1. प्राधिकार पत्र (Authorization Slip) के साथ आवश्यक सत्यापित प्रमाण-पत्र जैसे - सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति अथवा पेन्शन भुगतान आदेश (PPO) की छायाप्रति आदि एवं पहचान-पत्र, नवीनतम वेतन पर्ची (Pay Slip) तथा आश्रित के सम्बन्ध में आश्रित प्रमाण-पत्र एवं पुत्र/पुत्री की आयु का प्रमाण-पत्र भी संलग्न कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. कार्मिक के आश्रित माता पिता का उपचार/चिकित्सा कराने के मामलों में पहचान-पत्र तथा कारपोरेशन के आदेश सं0-6163-औ0सं0-17/पाकालि/03, दिनांक 05.01.2004 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर कारपोरेशन के कार्मिक द्वारा आश्रित के सम्बन्ध में पूर्ण सूचनाओं सहित रू0 10/- के स्टाम्प पेपर पर घोषणा-पत्र देना अनिवार्य होगा।
3. प्राधिकार पत्र (Authorization Slip) निर्गत करने वाले नियन्त्रक/सक्षम अधिकारी द्वारा कार्मिक/पेंशनर के पूर्णतः आश्रित परिवार के सदस्यों का पूर्ण विवरण प्राधिकार-पत्र के साथ प्रमाणित कर प्रेषित करना होगा, जिसमें जारी तिथि अंकित करना अनिवार्य होगा।
4. उपचार पूर्ण हो जाने पर चिकित्सालय प्रबन्धन द्वारा कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0-4594-औ0सं0/2018 दिनांक 03.12.2018 द्वारा निर्गत अनिवार्यता प्रमाण पत्र पर कार्मिक/रोगी की फोटो हस्ताक्षरों सहित अधिकृत चिकित्सक से सत्यापन उपरान्त बीजक के साथ कारपोरेशन (मु0) को उपलब्ध कराया जायेगा।
5. हृदय की शल्य क्रिया में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के इम्प्लान्ट्स की दरों एवं शर्तों के सम्बन्ध में आदेश सं0-3132-औ0सं0/2017 दिनांक 22.06.2017 में उल्लिखित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

Punna

क्रमशः 2/-

6. अस्पताल प्रबन्धन यह भी सुनिश्चित करेगा कि चिकित्सा बीजकों में अदेय सामग्री जैसे - विटामिन, टॉनिक आदि बीजक में सम्मिलित नहीं किये जायेगे, आवश्यकता पड़ने पर ऐसी सामग्री मरीज से स्वयं के व्यय पर खरीदकर मंगाई जा सकती है।
7. उपचार के उपरान्त अस्पताल से अवमुक्त होने पर रोगी के लिए आवश्यक होने पर अधिकतम 15 दिन की दवायें चिकित्सालय द्वारा अनुमन्य करायी जायेगी, जिनके मूल्य का समावेश अन्तिम बीजक में पृथक रूप से दर्शाना अनिवार्य होगा।
8. चिकित्सा व्यय क्रेडिट भुगतान एवं प्रतिपूर्ति के दावे मात्र उन्ही कार्मिकों व पेंशनर्स के सम्बन्ध में पावर कारपोरेशन में भुगतान हेतु स्वीकार किये जायेंगे, जो उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं इसकी सहयोगी कम्पनियों यथा-पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी/मेरठ/आगरा/लखनऊ एवं केस्को, कानपुर के अन्तर्गत वेतन अथवा पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।
9. उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड अथवा अन्य निगम की सेवा से सेवानिवृत्त ऐसे कार्मिक जिनके द्वारा वर्तमान में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड अथवा इसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों से पेंशन भुगतान प्राप्त किया जा रहा है उनके मामलों में चिकित्सा प्रतिपूर्ति/क्रेडिट बीजक का दावा उ0प्र0-पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा भुगतान हेतु स्वीकार/अनुमन्य कराया जायेगा।
10. कैशलेस उपचार हेतु भर्ती रोगी की सूचना अस्पताल द्वारा (संलग्न प्रारूप में) भर्ती होने के 24 घण्टे के अन्दर कारपोरेशन की ई-मेल आईडी0 uppcashlesstreatment@gmail.com पर ई-मेल किया जाये, ताकि आवश्यकतानुसार कारपोरेशन के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उक्त रोगी का भौतिक सत्यापन किया जा सके।
11. अस्पताल द्वारा रोगी के डिस्चार्ज होने के 03 दिन के अन्दर प्राधिकार पत्र, अनिवार्यता प्रमाण-पत्र, डिस्चार्ज समरी एवं बीजक की प्रति संलग्न कर कारपोरेशन को ई-मेल के द्वारा प्रेषित की जाये। कैशलेस उपचार से सम्बन्धित बीजक रोगी के डिस्चार्ज होने के एक माह के अन्दर कारपोरेशन को उपलब्ध कराये जायें।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या:-1725 -(1) औस-17/पाकालि/2023/तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, 8वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
4. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (का0प्र0) ट्रांसको/निदेशक (कार्य एवं परियोजना), शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वान्चल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवं केस्को, कानपुर।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
8. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
10. महाप्रबन्धक (औ0सं0)/उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

11. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त/प्रशासन/कारपोरेट टैक्स), उप-मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
12. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
13. कम्पनी सचिव, पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
14. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन विस्तार को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org-Medical/E-Book पर अपलोड करने हेतु।
15. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
16. जिला पंजीकरण प्राधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
17. प्रबन्धक, फेलिक्स हेल्थ केयर प्रा०लि०, एन०एच०-०१, सेक्टर-१३७, नोयडा।
18. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ०प्र०), १०३ कीर्ति अपार्टमेन्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
19. कट फाइल ।

स्क्राइप-पोस्ट

आज्ञा से,

P Kumar
25/4/23

(प्रदीप कुमार)

उप महाप्रबन्धक (औ०सं०)

8/1